6 अप्रैल, 2020 कार्यकारी आदेश 2020-20

COVID-19 के लिए कार्यकारी आदेश
(COVID-19 कार्यकारी आदेश सं. 18)

जबकि, 2019 के उत्तरार्ध में, कोरोनावायरस रोग 2019 (COVID-19) का एक नया और उल्लेखनीय प्रकोप उभरा; और,

जबकि, COVID-19 एक नवीन गंभीर तीक्ष्ण श्वसन रोग है जो व्यक्तियों में श्वसन संचारों के माध्यम से फैल सकता है और इन्फ़्लुएंज़ा जैसे लक्षण उत्पन्न करता है; और,

जबकि, COVID-19 के परिणामस्वरूप कुछ जनसमूह अधिक गंभीर रुग्णता का अनुभव करने के उच्चतर जोख़िम में हैं, जिनमें वृद्ध वयस्क एवं गंभीर दीर्घकालिक स्वास्थ्य स्थितियों जैसे हृदय रोग, मधुमेह, फेफड़ों के रोग या अन्य मानसिक या शारीरिक स्थितियों से ग्रस्त व्यक्ति शामिल हैं; और,

जबकि, COVID-19 को रोकने के प्रयासों के बावजूद, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और संघीय रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्रों (CDC) ने यह घोषणा की है कि इसका फैलना अपेक्षित है; और,

जबकि, मैं, जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker), इलिनॉय का राज्यपाल (गवर्नर), ने 9 मार्च, 2020 को इलिनॉय राज्य की समस्त काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया था (प्रथम राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा (फर्स्ट ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन); और,

जबकि, मैंने कोविड-19 (COVID-19) के विस्फोटक फैलाव की प्रतिक्रिया में 1 अप्रैल, 2020 को पुनः इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया (द्वितीय राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा (सेकंड ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन), और, प्रथम राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा (फ़र्स्ट ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन) के साथ, राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाएं (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन्स)); और,

जबकि, 11 मार्च, 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने COVID-19 को एक वैश्विक महामारी के रूप में अभिलक्षणित किया था; और,

जबकि, रोग नियंत्रण केंद्र (सीडीसी) सामाजिक दूरी बनाए रखने सहित महत्वपूर्ण राहत उपायों की सिफारिश करता है, जिसमें लोगों के बीच कम-से-कम छह फ़ीट की दूरी बनाए रखनी होती है, और हमारे समुदायों में COVID-19 के प्रसार को न्यूनतम करने की सर्वोपरि रणनीति है; और,

जबकि, राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन) की पूरी अवधि के दौरान, इलिनॉय के निवासियों को नकद, भोजन और पोषण सेवाओं और चिकित्सा सहायता सहित महत्वपूर्ण सार्वजनिक सहायता लाभों तक पहुंच होनी चाहिए, और,

जबकि, अत्यंत गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने और राज्य कर्मचारियों के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए नौकरी की हानि और खाद्य असुरक्षा का सामना करने वाले निवासियों की तत्काल आर्थिक और चिकित्सा आवश्यकताओं को संतुलित करने के लिए, राज्य के मानव सेवा विभाग ने तेरह को छोड़ कर सभी परिवार और सामुदायिक संसाधन केंद्रों को बंद करते हुए, टेलीफोन और ऑनलाइन द्वारा सेवाओं का विस्तार किया है; और,

जबकि, ‘‘इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर’’ प्रावधानों सहित, इलिनॉय इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य सुरक्षा अधिनियम (इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स सिक्योरिटी एक्ट) और संघीय कानून, वर्तमान में, आवश्यक करते हैं कि डाक द्वारा राज्य को प्राप्त सार्वजनिक सहायता के लिए आवेदन पर आवेदनकर्ता के लिखित हस्ताक्षर होने चाहिएं और टेलीफोन द्वारा किए गए आवेदनों में टेलिफोनिक हस्ताक्षर के रूप में आवेदक की आवाज में एक ऑडियो रिकॉर्डिंग शामिल होनी चाहिए; और,

जबकि, USD खाद्य और पोषण सेवा ने 31 मई, 2020 तक राज्य के लिए एक छूट प्रदान की है, जो खाद्य और पोषण सेवाओं के लिए टेलीफोन आवेदनों पर ग्राहक सत्यापन की ऑडियो रिकॉर्डिंग बनाने और मेल द्वारा प्राप्त अहस्ताक्षरित आवेदनोंं के लिए टेलीफोन द्वारा मौखिक सत्यापन की अनुमति देने की आवश्यकता से राज्य को राहत देती है; और,

जबकि, संयुक्त राज्य अमेरिका के स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग, Medicare और Medicaid सेवाओं के केंद्र को लागू प्रक्रियाओं के अनुसार सूचित किया जाएगा कि चिकित्सा सहायता के लिए आवेदन संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि खाद्य और पोषण सेवा विभाग द्वारा अनुमोदित प्रक्रियाओं के अनुरूप संभाले जाएगे;

अतः, इलिनॉय राज्य के राज्यपाल के रूप में मुझे प्राप्त शक्तियों द्वारा, और इलिनॉय आपातकाल प्रबंधन अभिकरण अधिनियम (इलिनॉय एमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी एक्ट), 20 ILCS 3305 की धाराओं 7(1), 7(2), 7(3), 7(8) और 7(12) के अनुसरण में, मैं एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश देता हूं:

धारा 1. COVID -19 के प्रकोप से संबंधित राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन) की अवधि के दौरान, सार्वजनिक सहायता के लिए आवेदक को सार्वजनिक सहायता लाभ के लिए एक टेलीफोन एप्लिकेशन के दौरान अपने मौखिक सत्यापन की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग प्रदान करने की आवश्यकता को निलंबित कर दिया गया है, और राज्य द्वारा ठीक से प्रलेखित एक साधारण मौखिक सत्यापन उसे एक वैध हस्ताक्षर बना देता है।

अनुभाग 2. COVID -19 के प्रकोप से संबंधित राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन) की अवधि के दौरान, मेल द्वारा प्राप्त सार्वजनिक सहायता के लिए अहस्ताक्षरित आवेदन पर आवेदक द्वारा बस टेलीफोन करके मौखिक सत्यापन द्वारा हस्ताक्षर किए जा सकते हैं, जो कि राज्य द्वारा ठीक से प्रलेखित किया गया हो।

अनुभाग 3. विशेष रूप से, 5 ILCS 175/25-101(c) पर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स सुरक्षा अधिनियम की आवश्यकता है कि एक राज्य एजेंसी द्वारा अपनाए गए सभी नियमों में केंद्रीय प्रबंधन सेवाओं के विभाग द्वारा स्थापित प्रासंगिक न्यूनतम सुरक्षा आवश्यकताएं शामिल होंगी, जो इस कार्यकारी आदेश की धारा 1 और धारा 2 में वर्णित परिवर्तनों को प्रभावित करने के सीमित उद्देश्य के लिए COVID -19 से संबंधित गुबनाटोरियल डिजास्टर प्रोक्लेमेशन की अवधि के दौरान निलंबित है।

जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker), राज्यपाल (गवर्नर)

राज्यपाल (गवर्नर) द्वारा जारी 6 अप्रैल, 2020
राज्य सचिव (सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट) द्वारा दायर 6 अप्रैल, 2020